कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मांग संख्या 91

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2556.16	62.85	2619.01	2926.11	63.10	2989.21	2445.32	85.72	2531.04	2923.03	79.18	3002.21
वसूलियां	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2556.13	62.85	2618.98	2926.11	63.10	2989.21	2445.32	85.72	2531.04	2923.03	79.18	3002.21
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	53.26	3.00	56.26	269.46	43.10	312.56	201.89	82.15	284.04	199.50	76.68	276.18
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
2. वास्तविक वसूली	-0.03	...	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
कार्य एवं कौशल विकास												
3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना												
3.01 कौशल विकास	2042.24	...	2042.24	2400.00	...	2400.00	2046.22	...	2046.22	1590.50	...	1590.50
3.02 प्रशिक्षुता को प्रोत्साहन	...	...	...	61.25	...	61.25	50.98	...	50.98	73.02	...	73.02
3.03 उद्यमिता विकास	20.34	...	20.34	37.25	...	37.25	25.06	...	25.06	39.01	...	39.01
3.04 संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना को सुदृढ़ करना	...	...	...	125.15	...	125.15	92.28	...	92.28	86.00	...	86.00
3.05 कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	...	...	...	13.00	20.00	33.00	12.29	3.57	15.86	15.00	2.50	17.50
3.06 विनियामक संस्थानों को सहायता	...	...	...	20.00	...	20.00	16.60	...	16.60	20.00	...	20.00
3.07 राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी	15.00	...	15.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.08 शिक्षुता और प्रशिक्षण	380.86	59.85	440.71	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.09 राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.10 पॉलिटेक्निक की योजना	44.46	...	44.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.11 आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति तथा ज्ञान जागरूकता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
3.12 औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	400.00	...	400.00
जोड़- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	*2502.90*	*59.85*	*2562.75*	*2656.65*	*20.00*	*2676.65*	*2243.43*	*3.57*	*2247.00*	*2723.53*	*2.50*	*2726.03*
कुल जोड़	***2556.13***	***62.85***	***2618.98***	***2926.11***	***63.10***	***2989.21***	***2445.32***	***85.72***	***2531.04***	***2923.03***	***79.18***	***3002.21***
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	3.00	3.00	...	43.10	43.10	...	82.15	82.15	...	76.68	76.68
जोड़-सामान्य सेवाएं	**...**	**3.00**	**3.00**	**...**	**43.10**	**43.10**	**...**	**82.15**	**82.15**	**...**	**76.68**	**76.68**
सामाजिक सेवाएं												
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2315.18	...	2315.18	1745.82	...	1745.82	1692.25	...	1692.25	1632.13	...	1632.13
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	53.25	...	53.25	269.46	...	269.46	201.89	...	201.89	199.50	...	199.50
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	59.85	59.85	...	20.00	20.00	...	3.57	3.57	...	2.50	2.50
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**2368.43**	**59.85**	**2428.28**	**2015.28**	**20.00**	**2035.28**	**1894.14**	**3.57**	**1897.71**	**1831.63**	**2.50**	**1834.13**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	265.62	...	265.62	223.53	...	223.53	270.30	...	270.30
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	185.45	...	185.45	629.51	...	629.51	319.20	...	319.20	791.50	...	791.50
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2.25	...	2.25	15.70	...	15.70	8.45	...	8.45	29.60	...	29.60
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**187.70**	**...**	**187.70**	**910.83**	**...**	**910.83**	**551.18**	**...**	**551.18**	**1091.40**	**...**	**1091.40**
कुल जोड़	**2556.13**	**62.85**	**2618.98**	**2926.11**	**63.10**	**2989.21**	**2445.32**	**85.72**	**2531.04**	**2923.03**	**79.18**	**3002.21**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** यह मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, जनशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के लिए व्यय उपलब्ध कराता है। एनएसटीआई के स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण घटक को "संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" स्कीम से स्थापना शीर्ष में अंतरित करके स्थापना व्यय को पुनर्गठित किया गया है।

3.01. **कौशल विकास:** (i) देश के सभी क्षेत्रों में 2016-2020 के दौरान एक करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने (75 लाख नए प्रशिक्षण और 25 लाख आरपीएल) के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)। (ii) उच्च गुणवत्ता परिणाम सुनिश्चित करते समय मान और गति पर कौशल प्रदान करने संबंधी संरचना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का कार्यान्वयन, (iii) समूचे भारत आधार पर कौशल प्रदान करने संबंधी कार्यकलापों के अभिसरण, समन्वयन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का कार्यान्वयन (iv) सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में सभी कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए सामान्य मानदंडों का कार्यान्वयन और (v) कौशल प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठन को सहायता प्रदान करने के लिए जनशिक्षण संस्थान।

3.02. **प्रशिक्षुता को प्रोत्साहन:** इस स्कीम का उद्देश्य उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हुए उद्योग में शिक्षुओं को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षुता अधिनियम, 1961 को कार्यान्वित करना है, जो विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्रों आदि के 40 या उससे अधिक कर्मचारियों के कार्यबल वाले और नामित ट्रेडों और प्रचालन ट्रेडों में शिक्षुता के कार्य में संलग्न नियोजकों के लिए इसे अनिवार्य बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम का उद्देश्य शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और शिक्षुओं की संख्या जो अगस्त, 2016 में 2.3 लाख थी, को बढ़ाकर वर्ष 2020 तक बढ़ाकर संचयी रूप से 50 लाख करना है।

3.03. **उद्यमिता विकास:** शिक्षा और प्रशिक्षण, एडवोकेसी, मेंटर नेटवर्क, क्रेडिट, इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर सूचना मंच और अनुसंधान सहित उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों तक सहज पहुंच के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना।

3.04. **संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** इस स्कीम का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निकों के माध्यम से प्रदान किए गए कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निष्पादन, प्रासंगिकता तथा दक्षता में सुधार लाना, तथा इन संस्थानों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की क्षमता में वृद्धि करना है। अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकास के अनुरूप सरकार की अवसंरचना

सुविधाओं को उन्नयित और अद्यतित करना जिससे की उभरते क्षेत्रों/व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए विधिवत मार्ग प्रशस्त हो जिससे कि युवा तकनीक पारंगत बन सकें और उद्योग इस प्रकार तैयार हो सके कि देश में युवाओं के रोजगार के संवर्धन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

3.05. **कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण:** इस स्कीम का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा संस्थान (आईटीई) सिंगापुर की तरह सार्वजनिक निजी भागीदारी में मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में तीन भारतीय कौशल संस्थान (उत्कृष्टता केंद्र) की स्थापना करना है। ये उच्च पाठ्यक्रमों में तत्काल प्रशिक्षण मुहैया कराएंगे। राष्ट्रीय आनुदेशिक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई) मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशल विकास (एमईएस) हेतु कारीगर प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) तथा विकास पहल स्कीम के लिए एक निष्पादन एजेंसी है। केंद्रीय स्टाफ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई) स्टाफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करता है और व्यावसायिक प्रशिक्षण में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार के लिए शोध करता है।

3.06. **विनियामक संस्थानों को सहायता:** मंत्रिमंडल ने दो विद्यमान निकायों अर्थात् राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी और राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन बोर्ड का आमेलन करके 10 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। यह व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में लगे निकायों के कार्यचालन को विनियमित करेगी और ऐसे निकायों के कार्यचालन के लिए न्यूनतम मानदंड तय करेगी। एनसीवीईटी के मुख्य कार्य अवार्डिंग निकायों, मूल्यांकन निकायों और सूचना प्रदाता को मान्यता देना और उनका विनियमन, अवार्डिंग निकायों और क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा विकसित अर्हताओं का अनुमोदन तथा अवार्डिंग निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों के जरिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष विनियमन।

3.11. **आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति तथा ज्ञान जागरूकता:** विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना स्तरीय प्रशिक्षकों और असेसरों के समूह का निर्माण करना, राज्य स्तर पर कौशल प्रशिक्षण संबंधी सभी कार्यकलापों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ठोस निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना करना, समाज के उपेक्षित वर्ग को कौशल प्रशिक्षण अवसरों तक पहुंच उपलब्ध कराना, प्रतिस्पर्धात्मक कौशल निधि की स्थापना के जरिए क्षमता का सृजन करना और प्रासंगिक विनिर्माण क्षेत्र में कौशल संबंधी जरूरतों पर ध्यान देकर मेक इन इंडिया पहल को अनुपूरित करना है।

3.12. **औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण:** औद्योगिक महत्व अभिवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव): विश्व बैंक सहायता प्राप्त इस परियोजना का उद्देश्य लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के समावेश की चुनौती का निराकरण करने के लिए उद्योग समूहों/भौगोलिक चैम्बरों के जरिए जागरूकता लाना है। इस परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता प्रदायगी का एकीकरण और संवर्धन करना भी है।